[2019] 4 उम. नि. प. 216

सुरिन्द्र सिंह देशवाल उर्फ कर्नल एस. एस. देशवाल और अन्य

बनाम

विरेन्द्र गांधी

[2019 की दांडिक अपील सं. 917-944]

29 मई, 2019

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) (2018 के अधिनियम सं. 20 द्वारा यथा संशोधित) – धारा 148 (यथा संशोधित) और धारा 138 – चैक का अनादर होने पर दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – अपील न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान प्रतिकर की 25 प्रतिशत रकम का संदाय करने का आदेश किया जाना – चैक अनादर के लिए परिवाद संशोधन से पूर्व फाइल किया जाना – संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का अभिवाक् किया जाना – निर्वचन – यथा संशोधित धारा 148 के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध अपीलों में यह धारा उस दशा में भी लागू होगी जहां दांडिक परिवाद संशोधन से पूर्व भी फाइल किए हों ।

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 – धारा 148 (यथा संशोधित) [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357(2) और 389] – चैक अनादर के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहते हुए संदाय का आदेश किया जाना – धारा 148 के प्रारंभिक शब्दों "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी ....." को देखते हुए – अपील न्यायालय को अपील लंबित रहने के दौरान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(2) के उपबंधों को विचार में लाए बिना अभियुक्त को विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर/जुर्माने की रकम का न्यूनतम 20 प्रतिशत जमा करने का निदेश देने की शक्ति है ।

इन अपीलों के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दांडिक परिवाद फाइल किए गए थे । उक्त दांडिक परिवाद तारीख 2 अगस्त, 2018 से पूर्व फाइल किए गए थे । विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 30 अक्तूबर, 2018 के निर्णय और आदेश द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और दो वर्ष का कारावास भुगतने का तथा जुर्माने के रूप में चैक की रकम जमा एक प्रतिशत ब्याज और मुकदमेबाजी के खर्चे के रूप में संदाय करने का दंडादेश दिया । अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर प्रथम अपील न्यायालय विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पंचकूला के समक्ष दांडिक अपीलें फाइल कीं । उक्त अपीलों में, अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन, अपील/अपीलों के लंबित रहने के दौरान दंडादेश को निलंबित करने और उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए । प्रथम अपील न्यायालय ने दंडादेश को निलंबित करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन आवेदन/आवेदनों को मंजूर करते हुए, परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 जिसे 2018 के संशोधन अधिनियम सं. 20 द्वारा संशोधित किया गया था और जो तारीख 1 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुआ था, के उपबंधों पर विचार करते हुए अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर/जुर्माने की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश दिया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर/जुर्माने की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देते हुए पारित किए गए आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने पुनरीक्षण आवेदन/आवेदनों के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष समावेदन किया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया गया और प्रथम अपील न्यायालय के आदेश की पुष्टि की । मूल अभियुक्तों द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें

फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – उस समय जब परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138क के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें फाइल की गई थीं, तब परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करने वाला 2018 का संशोधन अधिनियम सं. 20 तारीख 1 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हो गया था । यहां तक कि, उस समय जब अपीलार्थियों ने दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित रहते हुए दंडादेश को निलंबित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन आवेदन फाइल किया था/किए थे तब परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 प्रवृत्त हो गई थी और तारीख 9 सितम्बर, 2018 से कानून में आ गई थी । इसलिए, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्य और प्रयोजन पर विचार करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन शक्तियों को प्रयोग करते हुए जब प्रथम अपील न्यायालय ने दंडादेश को निलंबित करते हुए अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने/प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश दिया था, उसे पूर्णतया परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के अनुरूप कहा जा सकता है । संसद् ने यह अवलोकन करने और यह पाए जाने पर कि अनादृत चैकों के बेईमान लेखीवालों द्वारा अपील फाइल करने और कार्यवाहियों पर रोक आदेश प्राप्त करने की सरलता की वजह से विलंबकारी दाव-पेचों के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधिनियमन का उद्देश्य और प्रयोजन विफल किया जा रहा है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करना उचित समझा, जिसके द्वारा प्रथम अपील न्यायालय को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन की गई दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए फाइल की गई अपील में दोषसिद्ध अभियुक्त-अपीलार्थी को ऐसी राशि, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी, जमा करने का निदेश देने की शक्ति प्रदत्त की गई है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन से

यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी का अपील करने का कोई निहित अधिकार छीना गया है और/या प्रभावित हुआ है । इसलिए अपीलार्थियों की ओर से दी गई इस दलील में, कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी और अति विशिष्ट रूप से तारीख 1 सितम्बर, 2018 से पूर्व फाइल किए गए मामलों/परिवादों पर लागू नहीं होगी, कोई सार नहीं है और स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन से अपील करने का कोई सारभूत अधिकार छीना नहीं गया है और/या प्रभावित नहीं हुआ है । जहां तक अपीलार्थियों की ओर से इस दलील का कि यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 में प्रयुक्त भाषा पर भी विचार किया जाए, तो अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश "दे सकेगा" (मे) जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर की न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी और प्रयुक्त शब्द "देगा" (सैल) नहीं है और इसलिए प्रथम अपील न्यायालय के पास अपीलार्थी को अमुक राशि जमा करने का निदेश देने का विवेकाधिकार निहित है और अपील न्यायालय ने इसका अर्थान्वयन आज्ञापक के रूप में किया है जो अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के उपबंधों के प्रतिकूल है, का संबंध है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 को समग्र रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधनकारी धारा 148 के उद्देश्यों और कारणों के साथ पढ़े जाने पर यद्यपि यह सही है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 में प्रयुक्त शब्द "सकेगा" (मे) है, तो भी इसका साधारणतया, "नियम" या "देगा" (सैल) के रूप में अर्थान्वयन किया जाना चाहिए न कि अपील न्यायालय द्वारा जमा करने का निदेश देना एक अपवाद है जिसके लिए विशेष कारण दिए जाने चाहिए, के रूप में किया जाना चाहिए । अत:, परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 में अपील न्यायालय को अपील के लंबित रहते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को या तो मूल परिवादी द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर या दंडादेश को निलंबित करने के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर भी

ऐसी राशि जमा करने का निदेश देने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, जो जुर्माने या प्रतिकर के 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी । पूर्वोक्त अर्थान्वयन इस तथ्य पर विचार करते हुए किया जाना आवश्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 के अनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत जमा किए जाने का निदेश दिया जाना है और ऐसी रकम आदेश की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर या 30 दिन से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जमा की जानी चाहिए जो अपीलार्थी द्वारा दर्शित पर्याप्त कारण से अपील न्यायालय द्वारा निदेशित की जाए । अतः, यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 का ऐसी रीति में प्रयोजनात्मक रूप से निर्वचन किया जाता है तो इससे न केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति होगी अपितु परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 की भी पूर्ति होगी । परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 के प्रारंभिक शब्द यह है कि "दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए....." । इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(2) के उपबंधों के विचार में लाए बिना, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को चुनौती प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहते हुए, अपील न्यायालय को अपील लंबित रहते हुए अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का निदेश देने की शक्ति प्रदत्त की गई है जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी । उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए और इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । (पैरा 8, 8.1, 9 और 10)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2019]	2019 दांडिक रिट याचिका सं. 258 :	
	अजय विनोद चन्द्र शाह बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ;	5.6

[2018] 2018 की सी. आर. आर. सं. 9872,
जिसका विनिश्चय 4 अप्रैल, 2019 को किया गया :
मैसर्स गिन्नी गारमेंट्स और एक अन्य बनाम
मैसर्स सेठी गारमेंट्स ; 5.5

[2015] (2015) 4 एस. सी. सी. 33 :
विडियोकोन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम
भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ; 5.3,8.1

[2007] (2007) 6 एस. सी. सी. 528 :
दिलीप एस. धानुकर बनाम **कोटक महिन्द्रा बैंक** ; 5.7,10

[1957] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 540 :
गारिकापट्टी वीराया बनाम **एन. सुब्बय्या चौधरी** । 5.3,8.1

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 917-944.

2011 के सीआरएम-एम सं. 3377, 3790, 3828, 3857, 3860, 3862, 3864, 3867, 3868, 3869, 3871, 3875, 3888, 3894, 3895, 3904, 3906, 3912, 3913, 3921, 3924, 3925, 3926, 3929, 3932, 3949, 4018 और 3369 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 24 अप्रैल, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री विजय हंसारिया, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अमर नंदराजोग, समीर सोढ़ी और सिद्धार्थ शर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से श्री आलोक सांगवान

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

न्या. शाह – इजाजत दी गई ।

2. चूंकि अपीलों के इस समूह में विधि और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उद्भूत हुआ है, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से उद्भूत इन सभी अपीलों का विनिश्चय

और निपटारा एक साथ इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जा रहा है ।

3. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ द्वारा पारित उस आक्षेपित सामान्य आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों ने ये अपीलें फाइल की हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अलग-अलग पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज कर दिया था और प्रथम अपील न्यायालय-विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा इस अपील में अपीलार्थियों-मूल अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'परक्राम्य लिखत अधिनियम' कहा गया है) की धारा 148 में 2018 के संशोधन अधिनियम सं. 20 द्वारा किए गए उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देते हुए पारित किए गए आदेश की पुष्टि की थी ।

4. ये अपीलें फाइल करने से संबंधित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं । इन अपीलों में अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दांडिक परिवाद फाइल किए गए थे । उक्त दांडिक परिवाद तारीख 2 अगस्त, 2018 से पूर्व फाइल किए गए थे । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को तारीख 30 अक्तूबर, 2018 के निर्णय और आदेश द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और दो वर्ष का कारावास भुगतने का तथा जुर्माने के रूप में चैक की रकम जमा एक प्रतिशत ब्याज और मुकदमेबाजी के खर्चे के रूप में संदाय करने का दंडादेश दिया ।

4.1 अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर प्रथम अपील न्यायालय – विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पंचकूला के समक्ष दांडिक अपीलें फाइल कीं । उक्त अपीलों में, अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों ने दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन, अपील/अपीलों के लंबित रहने के दौरान, दंडादेश को निलंबित करने और उन्हें जमानत पर रिहा करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए ।

4.2 प्रथम अपील न्यायालय ने दंडादेश को निलंबित करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन आवेदन/आवेदनों को मंजूर करते हुए, परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148, जिसे 2018 के संशोधन अधिनियम सं. 20 द्वारा संशोधित किया गया था और जो तारीख 1 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हुआ था, के उपबंधों पर विचार करते हुए अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर/जुर्माने की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश दिया ।

4.3 विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय-विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों-मूल अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देने वाली अपील के लंबित रहते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर/जुर्माने की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देते हुए पारित किए गए आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने पुनरीक्षण आवेदन/आवेदनों के माध्यम से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के समक्ष समावेदन किया ।

4.4 अपीलार्थियों की ओर से पक्षकथन यह था कि 2018 के अधिनियम सं. 20 द्वारा यथा संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 उन दांडिक कार्यवाहियों की बाबत लागू नहीं होगी जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन से पूर्व ही आरंभ हो गई थी ।

4.5 उच्च न्यायालय ने एक विस्तृत निर्णय और आदेश द्वारा पूर्वोक्त दलील को स्वीकार नहीं किया और पुनरीक्षण आवेदन/आवेदनों को खारिज कर दिया तथा विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय-विद्वान् सेशन न्यायाधीश, पंचकूला द्वारा अपीलार्थियों-मूल अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों को परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 पर विचार करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत

प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देते हुए पारित आदेश की पुष्टि की ।

4.6 उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन/आवेदनों को खारिज करते हुए और विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों-मूल अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर की रकम का परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 के अधीन 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देते हुए पारित आदेश/आदेशों की पुष्टि करते हुए पारित किए गए आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर मूल अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों ने ये अपीलें फाइल की हैं ।

5. विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया अपीलार्थियों-मूल अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों की ओर से हाजिर हुए और विद्वान् अधिवक्ता श्री आलोक सांगवान मूल परिवादी की ओर से हाजिर हुए ।

5.1 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि प्रस्तुत मामले में उच्च न्यायालय तथा विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय दोनों ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 के अनुसार अपीलार्थियों को प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देकर सारभूत रूप से गलती की है ।

5.2 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में चूंकि अभियुक्तों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दांडिक कार्यवाहियां संशोधन अधिनियम प्रवृत्त होने से पूर्व आरंभ की गई थीं और परिवाद फाइल किए थे, इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 लागू नहीं होगी ।

5.3 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय या अपील न्यायालय द्वारा विधिक कार्यवाहियां, चाहे सिविल हों या दांडिक,

वाद फाइल करने या अभिकथित अपराध करने की तारीख को लागू विधि के आधार पर, जब तक कि उस विधि को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अभिव्यक्त रूप से भूतलक्षी प्रभाव से संशोधित न किया गया हो, विनिश्चित की जानी चाहिए । अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अपनी उपरोक्त दलील के समर्थन में **गारिकापट्टी वीराया** बनाम **एन. सुब्बय्या चौधरी**[1] और **विडियोकोन इंटरनेशनल लिमिटेड** बनाम **भारत का प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चयों का पुरजोर रूप से अवलंब लिया ।

5.4 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अन्यथा भी प्रथम अपील न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में के शब्द "कर सकेगा" (मे) का निर्वचन "करेगा" के रूप में किया और इस आधार पर अग्रसर हुआ कि अपील न्यायालय के लिए यह आज्ञापक है कि वह दंडादेश के निलंबन के लिए विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश दे ।

5.5 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि प्रथम अपील न्यायालय ने **मैसर्स गिन्नी गारमेंट्स और एक अन्य** बनाम **मैसर्स सेठी गारमेंट्स**[3] वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विनिश्चय का जोरदार अवलंब लिया था, जिसमें अभिनिर्धारित किया गया था कि अपील न्यायालय के पास दंडादेश का निलंबन करने के लिए शर्त अधिरोपित किए जाने या अधिरोपित न किए जाने का विवेकाधिकार जारी है और यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि तथापि, यदि प्रतिकर/जुर्माने के संदाय के अध्यधीन दंडादेश का निलंबन करने के

---

[1] ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 540.

[2] (2015) 4 एस. सी. सी. 33.

[3] 2018 की सी. आर. आर. सं. 9872, जिसका विनिश्चय 4 अप्रैल, 2019 को किया गया ।

विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा आदेश अवश्य परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के अनुरूप होना चाहिए । यह दलील दी गई है कि, तथापि, प्रस्तुत मामले में, अपील न्यायालय ने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया और इस धारणा के आधार पर अग्रसर हुआ कि दंडादेश के निलंबन के लिए जुर्माने या प्रतिकर का 25 प्रतिशत जमा करना एक शर्त के रूप में आज्ञापक है । यह दलील दी गई है कि इसलिए उच्च न्यायालय को **मैसर्स गिन्नी गारमेंट्स** (उपर्युक्त) वाले मामले के विनिश्चय करने के लिए मामला अपील न्यायालय को वापस भेजा जाना चाहिए था ।

5.6 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि **अजय विनोद चन्द्र शाह** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[1] वाले मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है । यह दलील दी गई कि उक्त विनिश्चय में बम्बई उच्च न्यायालय ने भी यह मत व्यक्त किया था और अभिनिर्धारित किया था कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 के अनुसार, अपील न्यायालय को अपील लंबित रहते हुए राशि जमा करने का निदेश देने का विवेकाधिकार है, किंतु यदि ऐसा निदेश दिया जाता है, तो वह राशि विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर की रकम का 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अपील न्यायालय ने गलत रूप से यह उपधारित किया कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के अधीन अपेक्षा जुर्माने या प्रतिकर का 25 प्रतिशत जमा करने की है ।

5.7 अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में विद्वान् विचारण न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन जुर्माना चैक की रकम के बराबर जमा एक प्रतिशत अधिरोपित किया था । यह दलील दी गई कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(2) के अनुसार अपील का विनिश्चय होने तक कोई ऐसा जुर्माना संदेय नहीं

---

[1] 2019 दांडिक रिट याचिका सं. 258.

है । यह दलील दी गई कि इसलिए भी प्रथम अपील न्यायालय को अपील (अपीलें) लंबित रहते हुए अपीलार्थियों को जुर्माने/प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देते हुए कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए था । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने अपनी उपरोक्त दलील के समर्थन में **दिलीप एस. धानुकर** बनाम **कोटक महिन्द्रा बैंक**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का पुरजोर रूप से अवलंब लिया ।

5.8 उपरोक्त दलीलें देने और पूर्वोक्त विनिश्चयों का अवलंब लेने के उपरांत यह प्रार्थना की गई है कि प्रस्तुत अपीलें मंजूर की जाएं और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि किए गए आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 को विचार में लेते हुए अपीलार्थियों को प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश दिया गया है, अपास्त किया जाए ।

6. मूल परिवादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता श्री आलोक सांगवान ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को अपील के लंबित रहते हुए और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश को निलंबित करते हुए प्रतिकर/जुर्माने की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देना पूर्णत: परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के अनुरूप है । यह दलील दी गई कि यह पाए जाने पर कि अनादृत चैकों के बेईमान लेखीवालों द्वारा आसानी से अपीलें फाइल करने और कार्यवाहियों पर रोक अभिप्राप्त करने की वजह से विलंबकारी दाव-पेचों के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम का उद्देश्य और प्रयोजन विफल किया जा रहा है और यह पाए जाने पर कि ऐसे विलंबकारी दाव-पेचों के कारण अनादृत चैक के पाने वाले के साथ अन्याय होता है जिसे चैक के मूल्य को वसूल करने के लिए न्यायिक कार्यवाहियों में पर्याप्त समय और साधन गंवाने पड़ते हैं, संसद् ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करना उचित समझा जिसमें प्रथम अपील न्यायालय को अपीलार्थी को (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138

---

[1] (2007) 6 एस. सी. सी. 528.

के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति) ऐसी राशि जमा करने का निदेश देने की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगा । यह दलील दी गई है कि इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में हस्तक्षेप करने से ठीक ही इनकार किया गया है जो कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 के उपबंधों के अनुरूप है ।

6.1 मूल परिवादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह भी दलील दी गई कि जहां तक अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों की ओर से दी गई इस दलील का संबंध है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जाएगी और उन दांडिक कार्यवाहियों से उद्भूत अपीलों को लागू नहीं होगी जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन से बहुत पहले आरंभ की गई थी, जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि पूर्वोक्त दलील में कोई सार नहीं है । यह दलील दी गई कि पहली बात तो यह है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में किए गए सभी संशोधन प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं और इसलिए इनका भूतलक्षी प्रभाव से लागू होने का प्रश्न ही नहीं है । यह दलील दी गई कि इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन से अपीलार्थियों को अपील करने के किसी निहित अधिकार को छीना नहीं गया है या प्रभावित नहीं हुआ है । यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में, स्वीकृतत:, अपीलें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के प्रवृत्त होने के पश्चात् फाइल की गई थीं और इसलिए प्रथम अपील न्यायालय द्वारा ठीक ही परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 का अवलंब लिया गया है/लागू किया गया है । यह दलील दी गई कि इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 अंत:स्थापित करके अधिनियम में इस प्रकार लाया गया संशोधन शुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक प्रकृति का है न कि सारभूत प्रकृति का है और इसमें अपीलार्थियों का निहित अधिकार प्रभावित नहीं होता है, इसलिए इसका भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है और प्रस्तुत मामले में भी लागू किया जा सकता है ।

6.2 अब जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(2) के लिए गए अवलंब और अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता की इस दलील का संबंध है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(2) को ध्यान में रखते हुए अपील के लंबित रहने के दौरान जुर्माना वसूलनीय नहीं है, जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम यथा संशोधित धारा 148 में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है कि "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए ....।" यह दलील दी गई कि इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 लागू होगी और अपील न्यायालय सदैव उतनी राशि, जो विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर/जुर्माने की रकम के 20 प्रतिशत से कम न हो, जमा करने का निदेश देने के लिए स्वतंत्र है ।

6.3 उपरोक्त दलीलें देकर यह प्रार्थना की गई कि प्रस्तुत अपीलें खारिज की जाएं ।

7. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को विस्तारपूर्वक सुना ।

7.1 संक्षिप्त प्रश्न जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया है, यह है कि क्या प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों को, जिन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 को विचार में लेते हुए दोषसिद्ध और दंडादेश के आदेश को चुनौती देते हुए फाइल की गई अपीलों के लंबित रहते हुए और दंडादेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन निलंबित करते हुए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित प्रतिकर/जुर्माने की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देकर न्यायोचित्य किया है ?

7.2 पूर्वोक्त विवाद्यक/प्रश्न पर विचार करते हुए 2018 के संशोधन अधिनियम सं. 20 द्वारा यथा संशोधित परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन और परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 को निर्दिष्ट और विचार किया जाना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार से है :–

"परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (अधिनियम) को वचन

पत्रों, विनिमय पत्रों और चैकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । उक्त अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है, जिससे अन्य बातों के साथ-साथ चैकों के अनादर के अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान का उपबंध किया जा सके । तथापि, केन्द्रीय सरकार को जनता से, जिसके अंतर्गत व्यापारिक समुदाय भी है, चैक अनादरण मामलों के लंबित रहने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं । इसका कारण, अपीलें फाइल करने और कार्यवाहियों पर रोक आदेश प्राप्त करने में सरलता के कारण अनाद्धृत चैकों के बेईमान लेखीवालों के विलंबकारी दाव-पेंच हैं । इसके परिणामस्वरूप किसी अनाद्धृत चैक के ऐसे पाने वाले के साथ अन्याय होता है, जिसे चैक के मूल्य को वसूल करने के लिए न्यायालय की कार्यवाहियों में अत्यधिक समय और साधन गंवाने होते हैं । ऐसे विलंबों से चैक संव्यवहारों की आदरणीयता पर जोखिम होता है ।

2. चैक अनादरण मामलों में अंतिम समाधान में असम्यक् विलंब के मुद्दे का हल करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है जिससे अनाद्धृत चैकों के पाने वालों को अनुतोष प्रदान किया जा सके तथा तुच्छ और अनावश्यक मुकदमेबाजी को हतोत्साहित किया जा सके, जिससे समय और धन की बचत होगी । प्रस्तावित संशोधनों से चैकों की विश्वसनीयता सुदृढ़ होगी और उधार देने वाले संस्थाओं को, जिसके अंतर्गत बैंक भी है, अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टरों को वित्त पोषण करना जारी रखने की अनुज्ञा देकर साधारणतया व्यापार और वाणिज्य में सहायता मिलेगी ।

3. इसलिए परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017 का पुर:स्थापित करने का प्रस्ताव अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात् –

(i) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 143क को यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करना है कि धारा 138 के

अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, चैक के लेखीवाल को, किसी संक्षिप्त विचारण या किसी समन मामले में, जहां वह परिवाद में लगाए गए अभियोगों का दोषी नहीं होने का अभिवाक् करता है और किसी भी अन्य मामले में आरोप के विरचित किए जाने पर, परिवादी को अंतरिम प्रतिकर का संदाय करने का आदेश दे सकेगा । इस प्रकार संदेय अंतरिम प्रतिकर ऐसी राशि होगी, जो चैक की रकम के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ; और

(ii) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 148 को यह उपबंध करने के लिए अंत:स्थापित करना है कि धारा 138 के अधीन लेखीवाल द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में अपील न्यायालय, अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकेगा, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर के न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

"148. दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित रहते हुए अपील न्यायालय की संदाय करने का आदेश देने की शक्ति – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए, अपील न्यायालय लेखीवाल द्वारा धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील में अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश दे सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन संदेय रकम धारा 143क के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदत्त किसी अंतरिम प्रतिकर के अतिरिक्त होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या तीस दिन से अनधिक ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर न्यायालय द्वारा निदेशित की जाए, जमा की जाएगी ।

(3) अपील न्यायालय अपील के लंबित रहने के दौरान किसी समय परिवादी को अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम को उन्मोचित करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यदि अपीलार्थी दोषमुक्त हो जाता है, तो न्यायालय परिवादी को इस प्रकार उन्मोचित की गई रकम अपीलार्थी को उस बैंक दर पर ब्याज सहित, जो भारत के रिर्जव बैंक द्वारा प्रकाशित अनुसार सुसंगत वित्तीय वर्ष के आरंभ पर लागू हो, आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर या तीस दिन से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो परिवादी द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर न्यायालय द्वारा निदेशित की जाए, प्रतिसंदाय करने का निदेश देगा ।"

8. अपीलार्थियों की ओर से पक्षकथन यह है कि चूंकि अपीलार्थियों के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद 2018 के संशोधन अधिनियम सं. 20, जिसके द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 संशोधित की गई थी, से पहले दर्ज/फाइल किए गए थे और इसलिए परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 लागू नहीं की जाएगी । तथापि, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि उस समय जब परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें फाइल की गई थीं, तब परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करने वाला 2018 का संशोधन अधिनियम सं. 20 तारीख 1 सितम्बर, 2018 से प्रवृत्त हो गया था । यहां तक कि, उस समय जब अपीलार्थियों ने दोषसिद्धि और दंडादेश को चुनौती देने वाली अपीलों के लंबित रहते हुए दंडादेश को निलंबित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन आवेदन फाइल किया था/किए थे तब परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 प्रवृत्त हो गई थी और तारीख 9 सितम्बर, 2018 से कानून में आ गई थी । इसलिए, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्य और प्रयोजन पर विचार करते हुए और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जब प्रथम अपील न्यायालय ने दंडादेश को निलंबित

करते हुए अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने/प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश दिया था, उसे पूर्णतया परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के अनुरूप कहा जा सकता है ।

8.1 संसद् ने यह अवलोकन करने और यह पाए जाने पर कि अनादृत चैकों के बेईमान लेखीवालों द्वारा अपील फाइल करने और कार्यवाहियों पर रोक आदेश प्राप्त करने की सरलता की वजह से विलंबकारी दाव-पेचों के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधिनियमन का उद्देश्य और प्रयोजन विफल किया जा रहा है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 का संशोधन करना उचित समझा, जिसके द्वारा प्रथम अपील न्यायालय को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन की गई दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए फाइल की गई अपील में दोषसिद्ध अभियुक्त-अपीलार्थी को ऐसी राशि, जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी, जमा करने का निदेश देने की शक्ति प्रदत्त की गई है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन से यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त-अपीलार्थी का अपील करने का कोई निहित अधिकार छीना गया है और/या प्रभावित हुआ है । इसलिए अपीलार्थियों की ओर से दी गई इस दलील में, कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी और अति विशिष्ट रूप से तारीख 1 सितम्बर, 2018 से पूर्व फाइल किए गए मामलों/परिवादों पर लागू नहीं होगी, कोई सार नहीं है और स्वीकार नहीं की जा सकती है क्योंकि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन से अपील करने का कोई सारभूत अधिकार छीना नहीं गया है और/या प्रभावित नहीं हुआ है । अत: अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल द्वारा **गारिका पट्टी वीराया** (उपर्युक्त) और **विडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का लिया गया अवलंब प्रस्तुत मामले के तथ्यों को लागू नहीं होगा । इसलिए इसमें ऊपर उल्लिखित परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर विचार करते हुए, परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित

धारा 148 के प्रयोजनात्मक निर्वचन के आधार पर हमारी यह राय है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश के विरुद्ध अपीलों की बाबत ऐसी दशा में भी लागू होगी, जहां परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध के लिए दांडिक परिवाद 2018 के संशोधन अधिनियम सं. 20 अर्थात् तारीख 1 सितम्बर, 2018 से पूर्व फाइल किए गए थे । यदि ऐसा प्रयोजनात्मक निर्वचन नहीं अपनाया जाता है, तो उस स्थिति में, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन का उद्देश्य और प्रयोजन विफल हो जाएगा । इसलिए विद्वान् प्रथम अपील न्यायालय द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 पर विचार करते हुए अपीलार्थियों को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यथा अधिरोपित जुर्माने/प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है ।

9. अब जहां तक अपीलार्थियों की ओर से इस दलील का कि यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम की यथा संशोधित धारा 148 में प्रयुक्त भाषा पर भी विचार किया जाए, तो अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का आदेश "दे सकेगा" (मे) जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर की न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी और प्रयुक्त शब्द "देगा" (सैल) नहीं है और इसलिए प्रथम अपील न्यायालय के पास अपीलार्थी को अमुक राशि जमा करने का निदेश देने का विवेकाधिकार निहित है और अपील न्यायालय ने इसका अर्थान्वयन आज्ञापक के रूप में किया है जो अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के उपबंधों के प्रतिकूल है, का संबंध है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 को समग्र रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधनकारी धारा 148 के उद्देश्यों और कारणों के साथ पढ़े जाने पर यद्यपि यह सही है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 में प्रयुक्त शब्द "सकेगा" (मे) है, तो भी इसका साधारणतया, "नियम" या "देगा" (सैल) के रूप में अर्थान्वयन किया जाना चाहिए न कि अपील न्यायालय द्वारा जमा करने का निदेश देना एक अपवाद है

जिसके लिए विशेष कारण दिए जाने चाहिए, के रूप में किया जाना चाहिए । अत:, परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 में अपील न्यायालय को अपील के लंबित रहते हुए अपीलार्थी-अभियुक्त को या तो मूल परिवादी द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर या दंडादेश को निलंबित करने के लिए अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन फाइल किए गए आवेदन पर भी ऐसी राशि जमा करने का निदेश देने के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदत्त की गई है, जो जुर्माने या प्रतिकर के 20 प्रतिशत से कम नहीं होगी । पूर्वोक्त अर्थान्वयन इस तथ्य पर विचार करते हुए किया जाना आवश्यक है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 के अनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत जमा किए जाने का निदेश दिया जाना है और ऐसी रकम आदेश की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर या 30 दिन से अनधिक की ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जमा की जानी चाहिए जो अपीलार्थी द्वारा दर्शित पर्याप्त कारण से अपील न्यायालय द्वारा निदेशित की जाए । अत:, यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 का ऐसी रीति में प्रयोजनात्मक रूप से निर्वचन किया जाता है, तो इससे न केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में संशोधन के उद्देश्यों और कारणों की पूर्ति होगी अपितु परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 की भी पूर्ति होगी । परक्राम्य लिखत अधिनियम को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है जिससे कि अन्य बातों के साथ-साथ चैकों के अनादरण के अपराध से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उपबंध किया जा सके और इसका कारण, अनादृत चैकों के बेईमान लेखीवालों द्वारा अपीलें फाइल करने और कार्यवाहियों पर आदेश प्राप्त करने में सरलता के कारण विलंबकारी दाव-पेंच हैं और इसके परिणामस्वरूप अनादृत चैक के पाने वाले के साथ अन्याय होता है जिसे चैक के मूल्य को वसूल करने के लिए पर्याप्त समय और साधन गंवाने पड़ते हैं और इस बात का अवलोकन करने के पश्चात् ऐसे विलंब से चैक से होने वाले संव्यवहारों की आदरणीयता पर जोखिम होता है, संसद् ने यह उचित समझा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 का संशोधन किया जाए । इसलिए ऐसा प्रयोजनात्मक निर्वचन परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 में

संशोधन के साथ-साथ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के भी उद्देश्यों और कारणों को अग्रसर करेगा ।

10. अब जहां तक अपीलार्थियों की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(2) का अवलंब लेकर दी गई इस दलील का, कि जब एक बार दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील फाइल कर दी जाती है, तो अपील के लंबित रहते हुए जुर्माना वसूलनीय नहीं है और इसलिए जुर्माने का 25 प्रतिशत जमा करने का ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए था और उपरोक्त के समर्थन में **दिलीप एस. धानुकर** (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लेने का संबंध है, पूर्वोक्त दलील में कोई सार नहीं है । परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 के प्रारंभिक शब्द यह है कि "दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए....." । इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(2) के उपबंधों को विचार में लाए बिना, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश के आदेश को चुनौती देने पर प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहते हुए, अपील न्यायालय को अपील लंबित रहते हुए अपीलार्थी को ऐसी राशि जमा करने का निदेश देने की शक्ति प्रदत्त की गई है जो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने या प्रतिकर का न्यूनतम 20 प्रतिशत होगी ।

उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए और इसमें ऊपर उल्लिखित कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

11. इस प्रक्रम पर, अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता ने अपीलार्थियों को प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्टि की गई है, के अनुसार रकम जमा करने के लिए कुछ और समय (तीन माह का समय) प्रदान करने का अनुरोध किया । मूल परिवादी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रार्थना का विरोध किया गया । यह दलील दी गई कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की संशोधित धारा 148 के अनुसार, अपीलार्थी-अभियुक्तों को अपील न्यायालय द्वारा यथा

निदेशित प्रतिकर/जुर्माने की रकम 60 दिन की अवधि के भीतर जमा करनी होती है जो अपीलार्थियों द्वारा पर्याप्त कारण दर्शित करने पर, जैसा कि न्यायालय द्वारा निदेशित किया जाए, 30 दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए विस्तारित की जा सकती है । तथापि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए सद्भावी रूप से मुकदमा लड़ रहे हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मामले के विलक्षण तथ्यों और परिस्थितियों में तथा जमा की जाने वाली रकम एक बड़ी रकम है, हम अपीलार्थियों का प्रथम अपील न्यायालय द्वारा यथा निदेशित, जिसकी अभिपुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा और इस न्यायालय द्वारा भी की गई है, जमा करने के लिए आज से अतिरिक्त चार सप्ताह का समय प्रदान करते हैं ।

12. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन/आवेदनों को खारिज करते हुए और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों को अपीलें लंबित रहते हुए जुर्माने/प्रतिकर की रकम का 25 प्रतिशत जमा करने का निदेश देते हुए पारित आदेश की पुष्टि करते हुए पारित आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता है ।

तद्नुसार, प्रस्तुत अपीलें पूर्वोक्त मताभिव्यक्तियों के साथ खारिज की जाती हैं और अपीलार्थियों को अब प्रथम अपील न्यायालय द्वारा निदेशित रकम आज से चार सप्ताह की विस्तारित अवधि के भीतर जमा करने का निदेश दिया जाता है ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.